

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(डॉ.सौम्या झा,आई०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

76/2019

16/09/2019

सरकार जरिये जिला कलेक्टर (जि.रा.ले) टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

राजूलाल जाट पूर्व उचित मूल्य दुकानदार ग्राम छान तहसील व जिला टोंक राज०

..... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-4 पी.डी.आर.एक्ट 1952

उपस्थिति : (1) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 16.07.2024

प्रकरण मे तथ्य इस प्रकार है कि राजूलाल जाट पूर्व उचित मूल्य दुकानदार ग्राम छान तहसील व जिला टोंक द्वारा एसजीआरवाई के 289.53 क्वटल गेहूँ के सारसभाल के अभाव मे गेहूँ खराब होने से छीजत राशि 246101 रूपये पी.डी.आर.एक्ट 1952 की धारा-4 में वसूल करने हेतु जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा मांग पत्र भिजवाने पर जिला कलेक्टर (जि. रा.ले.) टोंक द्वारा प्रकरण प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण प्रस्तुत होने पद दर्ज रजिस्टर किया गया एवं वास्ते सुनवाई अप्रार्थी (बाकीदार) को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी (बाकीदार) बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई।

विद्वान परोकार सरकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजूलाल जाट पूर्व उचित मूल्य दुकानदार ग्राम छान द्वारा एसजीआरवाई के 289.53 क्वटल गेहूँ के सारसभाल के अभाव मे गेहूँ खराब होने से छीजत राशि 246101 रूपये पी.डी.आर.एक्ट 1952 की धारा-4 में वसूल करने हेतु जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा मांग पत्र जिला कलेक्टर टोंक को भिजवाया गया है। अप्रार्थी (बाकीदार) जिला टोक में निवासरत होने से उसके विरुद्ध पी डी आर एक्ट के तहत उसकी परिसम्पत्तियों की गणना कर राशि 246101 रूपये की कुर्की वसूली की कार्यवाही प्रभारी अधिकारी (जि.रा.ले) शाखा कलेक्ट्रेट टोंक द्वारा सम्पादित की जानी है। अतः उक्त राशि अप्रार्थी (बकायादार) से वसूल किया जाना न्यायोचित है।



जिला कलेक्टर
टोंक

हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। जिला कलेक्टर (जि.रा.ले) टोंक द्वारा एसजीआरवाई के 289.53 क्विंटल गेहूँ के सारसभाल के अभाव में गेहूँ खराब होने से छीजत राशि 246101 रुपये पीडी आर.एक्ट 1952 की धारा-4 में वसूल करने हेतु जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा मांग पत्र भिजवाने पर प्रकरण तैयार कर न्यायालय हाजा को प्रेषित किया गया है।

पेरोकार सरकार का कथन है कि अप्रार्थी (बकायादार) जिला टोंक में निवासरत होने से उसके विरुद्ध पी डी आर एक्ट के तहत उसकी परिसम्पत्तियों की गणना कर राशि 246101 रुपये की कुर्की वसूली की कार्यवाही सम्पादित की जानी है। अप्रार्थी (बकायादार) को पहले ही काफी समय बकाया राशि जमा करवाने हेतु दिया जा चुका है। अब समय दिया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण को हम न्याय के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

अतः पब्लिक डिमाण्ड एण्ड रिकवरी एक्ट 1952 के अन्तर्गत बाकीदार श्री राजूलाल जाट पूर्व उचित मूल्य दुकानदार ग्राम छान तहसील व जिला टोंक राज0 से 246101 रुपये की राशि वसूली करने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ० सैम्या झा)
जिला कलेक्टर, टोंक
टोंक